

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संख्या-3/सी०एस०/एम०-03/2013 पटना-15, दिनांक-.....

प्रेषक,

प्रभाकर झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

वित्त विभाग/सूचना प्रावैधिकी विभाग/कृषि विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/भवन निर्माण विभाग/अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग/पथ निर्माण विभाग/उर्जा विभाग/परिवहन विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/गन्ना उद्योग विभाग/खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग/सहाकारिता विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/स्वास्थ्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/विधि विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/उद्योग विभाग/शिक्षा विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मांग सं०-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 04- विद्युत प्रभार व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में निधि का अतिरिक्त आवंटन।

आदेश : ₹ 89,67,188/- (नबासी लाख सड़सठ हजार एक सौ अठासी) संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विभागों को निधि के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि प्रथम अनुपूरक बजट 2013-14 के आगणन से वित्त विभाग के पत्रांक-ब-17/बी० एस० जी०-159/2013-799/वि०, दिनांक-14.08.2013 के आलोक में स्वकृति प्रदान की जाती है।

2. यह राशि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लि० द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के आधार पर दी जा रही है। यदि किसी विभाग द्वारा पूर्व में ही लंबित बकायों का भुगतान कर दिया गया हो तो इसकी जाँच एवं समीक्षा कर ही भुगतान की कार्यवाई सुनिश्चित की जाय।

3. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001- मंत्रीगण-13 04-विद्युत प्रभार व्यय के उपबंधित राशि से होगा। जिसका विपत्र कोड सं०-N2013008000001 है।

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2419 वि०(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। सम्बन्धित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत रहेगा।

6. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-30.03.2014 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रभाकर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०-03/2013 पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०-03/2013 394 पटना-15, दिनांक-..... 26/8/13

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।



सरकार के संयुक्त सचिव

26/8/13

- मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-मंत्रीगण-13 04-विद्युत प्रभार व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटित राशि का विवरणी :-

क्र०	स्थापना का प्रभारी विभाग	वित्तीय वर्ष 2013-14 में वर्तमान आवंटन की राशि
1.	वित्त	31303
2.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	26234
3.	कृषि	1063107
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार	506550
5.	ग्रामीण कार्य	37729
6.	समाज कल्याण	22536
7.	भवन निर्माण	93111
8.	अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण	165485
9.	पथ निर्माण	684926
10.	उर्जा	472928
11.	परिवहन	1153050
12.	खान एवं भूतत्व	507505
13.	गन्ना उद्योग	333855
14.	खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण	352065
15.	सहकारिता	255313
16.	नगर विकास एवं आवास	471891
17.	श्रम संसाधन	296529
18.	ग्रामीण विकास	162423
19.	स्वास्थ्य	809406
20.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	26050
21.	विधि	461246
22.	कला, संस्कृति एवं युवा	162715
23.	उद्योग	187507
24.	शिक्षा	172296
25.	पशु एवं मत्स्य संसाधन	371336
26.	जल संसाधन	140092
कुल योग		8967188

(प्रभाकर झा)

सरकार के संयुक्त सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

26/8/13